# मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
## कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)–456010

E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in

Ph. (0734) 2512101
Fax (0734) 2512102


क्रमांक/मा.चि./2021/ 7465 उज्जैन, दिनांक 23/11/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– रतलाम–मोरवनी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग चौड़ीकरण कर उन्नयन कार्य करने मे प्रभावित वनभूमि 4.977 हे. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबद।
(ऑनलाईन प्रकरण क्रं. FP/MP/Road/44455/2020)

संदर्भ :– वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल रतलाम का पत्र क्रं./माचि/2021/3528 दिनांक 26–10–2021 एवं पत्र क्रं. 3768 दिनांक 17–11–2021।

विषयांतर्गत प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रतलाम द्वारा संदर्भित पत्रो से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग रतलाम द्वारा रतलाम–मोरवनी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग चौड़ीकरण कर उन्नयन कार्य अन्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्राप्त ऑनलाईन प्रकरण मे प्रभावित रतलाम वनमण्डल के परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग–4 के कक्ष क्रं. पी–69, 70, 76, 77 रकबा 2.744 हे. एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ के वन कक्ष क्रं. पी–51, 52 रकबा 2.233 हे. इस प्रकार कुल रकबा 4.977 हे. वनभूमि व्यपवर्तन हेतु भाग–I, II मे प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये है। वनमण्डलाधिकारी रतलाम द्वारा संदर्भ क्रं. 02 से प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान विद्यमान मार्ग 1980 के पूर्व का होकर तत्समय Cart Track प्रदर्शित हो रहा है जो वर्तमान मे डामरीकृत मार्ग है।

प्रकरण अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि 4.977 हे. के बदले प्राप्त समतुल्य गैर वनभूमि 4.977 हे. मे वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है, जिनका तकनीकी अनुमोदन किया जाकर संलग्न है। इस कार्यालय से संबधित निर्धारित प्रारूप भाग–III अपलोड किया जाकर पूर्ण प्रस्ताव 02 प्रतियों मे आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

क्रमांक/मा.चि./2021/ 7466 उज्जैन, दिनांक 23/11/2021

प्रतिलिपि :–

01– वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल रतलाम की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

E:\data\D\I\Ashu`s Documents\DM111\2010\2021\Letters 2021.doc

# PART III

| S.N. | DESCRIPTION | FOLLOW UP |
|---|---|---|
| 14 | Whether site where the forestland involved is located has been inspected by concerned conservator of forest (Yes/No). If yes the date of inspection & observation made in form of inspection note to be enclosed. | Agree with Inspection of DFO Ratlam. |
| 15 | Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendation of Deputy Conservator of Forests. | **Yes** |
| 16 | Specific recommendation of concerned Conservator of Forest for acceptance or otherwise the proposal with detailed reasons. | Forest land required is bare minimum for the project. Hence the proposal recommended for acceptance. |

**( Kamalika Mohanta )**
**Chief Conservator of Forest**
**Ujjain Circle, Ujjain**

# आदेश द्वारा कमलिका मोहंता (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक, एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: **आदेश** ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2021/66 उज्जैन, दिनांक 23.11.2021

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल रतलाम द्वारा उनके पत्र क्रं./मा.चि/2021/3528 दिनांक 26-10-2021 से वनमण्डल रतलाम के परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग–4 के कक्ष क्रं. पी–69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो एफ के वन कक्ष क्रं. पी–51, 52 के अन्तर्गत कुल रकबा 4.977 हे. वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम द्वारा रतलाम–मोरवनी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग चौड़ीकरण कर उन्नयन कार्य हेतु उपयोगार्थ मांग के प्रकरण मे निम्नानुसार प्राप्त गैर वनभूमि मे 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रेषित की है।

| अ.क्र. | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | खसरा क्रं. | रकबा (हे. में) | वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पिपलोदा | शेरपुर | 858 | 4.977 | 4000000/- |

वनमण्ड़लाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल रतलाम द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राज्य शासन द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रसारित दिशा निर्देशों के अनुरुप शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स 2012 वॉल्यूम II मे वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिन्दु क्रं. 14–बी मे निहित एवं प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करते हुए एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र./एफ 3-2/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2013 से वानिकी कार्यो की तकनीकी स्वीकृती हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत् वनमण्ड़लाधिकारी वनमण्डल रतलाम द्वारा प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रु. 4000000/- (रु. चालीस लाख मात्र) की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी./3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो

सामग्री राशि रू. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।

6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो, को मान्य किया जावेगा।

21) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

22) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिशचित करें।

23) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड–19 की महामारी के संबध मे समय–समय पर जारी निर्देशो तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यो के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करें।

24) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

( कमलिका मोहंता )
**मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन**
**वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन**

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2021/ 7464

उज्जैन, दिनांक 23/11/2021

**(1)** महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**(2)** वनमण्ड़लाधिकारी (सा.) वनमण्डल रतलाम की ओर उनके पत्र क्रं./मा.चि/2021/3528 दिनांक 26-10-2021 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

( कमलिका मोहंता )
**मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन**
**वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन**